पत्रांक –3 /एम0– 43/2015सा0प्र0 2441 /

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/निगरानी विभाग/निर्वाचन विभाग/गृह विभाग/आपदा प्रबंधन विभाग/वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/पर्यावरण एवं वन विभाग/उर्जा विभाग/जल संसाधन विभाग/पर्यटन विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/विधि विभाग/सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक 21.02 2018

विषयः– राज्य सरकार के समूह 'ग' के विभिन्न पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में साक्षात्कार का प्रावधान हटाये जाने पर विचार हेतु बैठक के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–16571 दिनांक–28.12.2017 एवं पत्रांक– 1104 दि0–23.01.18

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध कहना है कि राज्य सरकार के समूह 'ग' के विभिन्न पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में साक्षात्कार के प्रावधान को हटाये जाने पर विचार हेतु **प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय कक्ष में दिनांक– 26.02.2018 के पूर्वाह्न 11:00 बजे एक बैठक** आहूत की गयी है।

उल्लेखनीय है कि प्रसंगवर्णित पत्रों द्वारा विचाराधीन मामला पर निर्णय लिये जाने हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन की मांग की गयी है, जो सम्प्रति अप्राप्त है–

(1) विभाग में समूह 'ग' के किन–किन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में साक्षात्कार का प्रावधान है?

(2) समूह 'ग' के जिन पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया में साक्षात्कार का प्रावधान है उसे हटाये जाने पर विभाग सहमत है अथवा नहीं?

(3) यदि विभाग समूह 'ग' के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया में साक्षात्कार का प्रावधान हटाये जाने पर सहमत है तो विभाग द्वारा संबंधित सेवा/संवर्ग नियमावली में तत्संबंधी संशोधन पर विचार किया जा रहा है अथवा नहीं?

उल्लेखनीय है कि विषयांकित मामले से संबंधित श्री अनिल सिंह, स0वि0स0 के गैर सरकारी संकल्प संख्या– 385/2017–6415 दिनांक– 18.08.2017 के संदर्भ में सरकार द्वारा दिये गये वक्तव्य में सन्निहित आश्वासन संख्या– 1162/17 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन विधान सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया जाना है।

अतः अनुरोध है कि बैठक में उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन के साथ ससमय उपस्थित होने हेतु किसी अधीनस्थ पदाधिकारी को निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

21/2/18

(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव

पत्रांक –3 /एम०– 43/2015सा०प्र०.....2442...... /

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,
उद्योग विभाग/वाणिज्य--कर विभाग/परिवहन विभाग/मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग/पंचायती राज विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/स्वास्थ्य विभाग/शिक्षा विभाग/विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग/गन्ना उद्योग विभाग/खान एवं भूतत्त्व विभाग/कृषि विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/पथ निर्माण विभाग/कला, संस्कृति एवं युवा विभाग/श्रम संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना--15, दिनांक....21.02.....2018

विषयः– राज्य सरकार के समूह 'ग' के विभिन्न पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में साक्षात्कार का प्रावधान हटाये जाने पर विचार हेतु बैठक के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–16571 दिनांक–28.12.2017 एवं पत्रांक– 1104 दि0–23.01.18

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध कहना है कि राज्य सरकार के समूह 'ग' के विभिन्न पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में साक्षात्कार के प्रावधान को हटाये जाने पर विचार हेतु **प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय कक्ष में दिनांक– 26.02.2018 के पूर्वाह्न 03:00 बजे एक बैठक** आहूत की गयी है।

उल्लेखनीय है कि प्रसंगवर्णित पत्रों द्वारा विचाराधीन मामला पर निर्णय लिये जाने हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन की मांग की गयी है, जो सम्प्रति अप्राप्त है–

(1) विभाग में समूह 'ग' के किन–किन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में साक्षात्कार का प्रावधान है?

(2) समूह 'ग' के जिन पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया में साक्षात्कार का प्रावधान है उसे हटाये जाने पर विभाग सहमत है अथवा नहीं?

(3) यदि विभाग समूह 'ग' के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया में साक्षात्कार का प्रावधान हटाये जाने पर सहमत है तो विभाग द्वारा संबंधित सेवा/संवर्ग नियमावली में तत्संबंधी संशोधन पर विचार किया जा रहा है अथवा नहीं?

उल्लेखनीय है कि विषयांकित मामले से संबंधित श्री अनिल सिंह, स0वि0स0 के गैर सरकारी संकल्प संख्या– 385/2017–6415 दिनांक– 18.08.2017 के संदर्भ में सरकार द्वारा दिये गये वक्तव्य में सन्निहित आश्वासन संख्या– 1162/17 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन विधान सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया जाना है।

अतः अनुरोध है कि बैठक में उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन के साथ ससमय उपस्थित होने हेतु किसी अधीनस्थ पदाधिकारी को निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

21/2/18

(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव